(13)

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

राजस्व वादसख्या 16/2003

1. श्री मति चन्द्रकान्ता पत्नि स्व0 श्री मदनलाल जाति सैन निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0 मृतक बजाय उसके वारिसान :–
   (1/1) श्री मदनलाल वयस्क पुत्र सुगनचन्द – अब मृतक
   (1/2) श्री संजय कुमारउम्र 24 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल
   (1/3) श्री अक्षय कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल
   (1/4) श्री महेन्द्र कुमार बालिग पुत्र श्री मदनलाल
   सभी जाति सैन निवासीयान बस स्टेण्ड, शर्मा कोलोनी, बिजयनगर जिला अजमेर राज0 ।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये श्री जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज0) ।
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदयतहसील–बिजयनगर जिला, अजमेर।
3. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय तहसील–बिजयनगर जिला, अजमेर।
4. श्री लादूसिंह वयस्क पुत्र श्री दुलसिंह जाति राजपुत
   4/1 श्री देवीसिंह वयस्क पुत्र श्री लादूसिंह जाति राजपुत
   4/2 श्री साहबसिंह वयस्क पुत्र श्री लादूसिंह जाति राजपुत
   4/3 श्रीमति प्रेम कंवर बेवा स्व0 श्री लादूसिंह जाति राजपुत
   निवासियान गांव बाडी–बिजयनगर तहसील, बिजयनगर जिला अजमेर राज0 ।
   4/4 श्रीमति कैलाश कंवर वयस्क पुत्री श्री लादूसिंह जाति राजपुत निवासी गांव तहसील देवली राज0 ।
   4/5 श्रीमति पुष्पा कंवर वयस्क पुत्री स्व0 श्री लादूसिंह जाति राजपुत निवासी स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज0 ।
   4/6 श्री घनश्याम कंवर वयस्क पुत्री स्व0 श्री लादूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम किशनावतो की खेडी, तहसील भीलवाडा राज0 ।
5. श्री गोरधनसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपुत
6. श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपुत

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

1. श्री ज्ञानचन्द गादिया
   वकील वादीगण
   उपस्थित
2. श्री हरकरण सिंह छाबा
   वकील प्रतिवादी 5, 6
   अनुपस्थित

निर्णय

(14)

दिनांक..21.09.2016

वादीगण ने इस वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेरस्थित आराजी विवादित आराजी खसरा संख्या 258 रकबा 05–15–00 व 259 रकबा 04–10–00 को इनमें खुद काश्त से चले आ रहे खातेदारान से क्रमशः 09.07.1979 व 27.11.1978 से खरीद की है और इन पर वादिया का खरीद रोज से आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है ।

वादिया ने आराजी ख.नं. 258 रकबा 05–15–00 बीघा भूमि इसमें खातेदार श्री लादूसिंह वल्द दूलसिंह राजपूत से दिनांक 09.07.1979 को खरीद की है जिसका ना.क. संख्या 76 दिनांक 28.06.1980 से वादिया के नाम स्वीकृत कर दिया गया इसी प्रकार आराजी संख्या 259 रकबा 4–10–00 बीघा भूमि इसमें खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता स्व0 चतरसिंह वल्द रूघनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी – बाडी से खरीद की है जिसका ना.क. संख्या 68 दिनांक 12.03.1979 वादिया के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया लेकिन राजस्व कारकूनों की गलती से इसका अमल दरामद राजस्व जमाबंदी में नहीं किया जा सका है । भू–संशोधन सन् 1971–72 का समापन 1984 में हुआ और वर्किंग जमाबंदी कायम हुई जिसमें भू–संशोधन जमाबंदी अनुसार वादिया का नाम नहीं लगाया गया है । वादीया को विक्रेतागण का, विवादित आराजी पर वर्तमान राजस्व एंव काश्तकारी अधिनियमों के प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा काश्त चला आता था और वे उसमें खातेदार थे । खरीद रोज से वादिया खुलेआम सबकी जानकारी में इस पर काबिज काश्त चली आती है लेकिन वर्किंग जमाबंदी में वादिया के स्थान पर उन्हे सरकारी खाते लगा दिया गया है । अतः वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे तथा वादिया को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें वादिया का नाम लगवाया जाकर अभिलेख दुरूस्तीकरवाई जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादिया के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जावे ।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने प्रतिवाद पत्र में मात्र इतना कथन किया है कि वादिया अपना वाद स्वयं सिद्ध करें । प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

तनकी– 1 क्या वाद ग्रस्त आराजीयात ग्राम बाड़ी ख.नं. 258 रकबा 05–15–00 एवं ख. नं. 259 रकबा 04–10–00 को वादिया द्वारा बाई रजिस्टर्ड सेल डीड से दिनांक 09.07.1979 व 27.11.1978 को तत्कालीन खातेदार से खरीद की गई थी ?

तनकी – 2 क्या म्यूटेशन संख्या 76 दिनांक 28.06.1980 एव म्यूटेशन संख्या 68 दिनांक 12.03.79 विधिक सम्मत होने से इसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करना उचित होगा ।

.....वादिया

अनुतोष क्या होगा ?

(15)

तनकियात कायम कर शहदत पक्षकारान तलब की गई ।

शहादत वादी में वादिया के पति पी0डब्ल्यू0 1 मदनलाल पुत्र सुगनचंद सेन पी0डब्ल्यू0 2 श्री अक्षय कुमार पुत्र मदनलाल सेन व पी0डब्ल्यू0 3 संजय कुमार पुत्र मदनलाल ने अपने शपथ–पत्रों में विवादित आराजी पर खरीद रोज से जीवन पर्यन्त चन्द्रकान्ता का कब्जा चला आना बताया तथा दस्तावेजी साक्ष्य बेचानामा दिनांक 09.07.1979 पर प्रदर्श 1 प्रमाणित प्रति बेचाननाम दिनांक 27.11.1978 प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 प्रमाणित प्रति ना.क. संख्या 76 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रति ना.क.संख्या 68 प्रदर्श 5 व खसरा परिवर्तनशील 2029 प्रदर्श 6 तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2042 प्रदर्श 7 व जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 प्रदर्श 8 लगवा कर अपने दस्तावेजात को साबित किया है वहीं स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू0 4 श्रीमती सीता देवी पत्नि रामलाल खाती व पी0डब्ल्यू0 5 विजयकुमार चौहान पुत्र भैरूलाल भाबी जो कि उम्रदराज व्यक्ति है ने अपने–अपने शपथ–पत्र में विवादित आराजी पर वादिया का उसके जीवन काल खरीद रोज से कब्जा काश्त रहने एवं उसकी मृत्यु के बाद से उसके वारिसान का कब्जा काश्त चले आने की पुष्टी की है।

प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की और से कोई गवाह पेश नहीं किया गया है ।

बहस विद्वान अभिभाषक वादिया एवं पैरोकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 सुनी गई हैं। वादी अभिभाषक के तर्क रहे कि लादूसिंह वल्द दुलसिंह राजपूत जो कि विवादित भूमि ख0नं0 258 में खातेदार था तथा ख.नं. 259 में स्व0 चतरसिंह वल्द रूघनाथ सिंह खातेदार था उनसे मैने ये भूमिया सन् 1978–79 में खरीद की है । ये साधिकार खातेदार थे जो संवत् 2029 के खसरा परिवर्तन शील से साबित है उन्होने मुझे बेची और मौके पर मेरा भौतिक रूप से कब्जा करवा दिया जो आज तक चला आता है । मेरे पक्ष में इनके ना.क. संख्या 76 व 68 दर्ज किये गये जो आज भी प्रभाव में है जिनको आज तक किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया है । इसलिए में विवादित आराजी में खातेदारी पाने का अधिकारी हूँ । मैरे नाम नामान्तकरण से गत जमाबंदी में खातेदारी दर्ज कर दी गई लेकिन वर्किंग जमाबंदी कायम करने वाले कारकूनों ने बिना मुझे सुने एवं पक्ष रखने का अवसर दिये मनमर्जी से मेरी खातेदारी की भूमि को सरकारी खाते लगा दिया है जो सर्वथा विधि विरूद्ध है बावजूद इसके कि मै बिना रोक टोक सबकी जानकारी में आदिनांक बहैसियत बोनोफाईडपर्चेजर एवं खातेदार विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आता हूँ । मेरे नाम स्वीकृत ना.क. के मौजूद रहते अभिलेख में अमल नहीं किया गया है अब कराया जावे गलती राजस्व कारकूनों की है और सजा मैं क्यूं भूगतू ? अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मेरा वाद मेरे पक्ष में डिक्री कर मेरी खातेदारी विवादित आराजी में लगाई जाकर इसे दुरूस्ती कराई जावे तथा मेरे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से प्रतिवादीगण को निषेध किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

पैरोकार प्रतिवादी 1 से 3 ने विर्तक में कथन किये कि विवादित भूमि वर्तमान में सरकारी सिवायचक भूमि है वादिया अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है अतः वाद सव्यय निरस्त किया जावे ।

मैने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अद्धोपांन अवलोकन किया । दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस पर मनन करने पर प्रकरण में कायम तनाकियात को मैने निम्न प्रकार तय करना न्यायोचित पाया है।

तनकी– 1 क्या वाद ग्रस्त आराजीयात ग्राम बाड़ी ख.नं. 258 रकबा 05–15–00 एवं ख. नं. 259 रकबा 04–10–00 को वादिया द्वारा बाई रजिस्टर्ड सेल डीड से दिनांक 09.07.1979 व 27.11.1978 को तत्कालीन खातेदार से खरीद की गई थी ?

इस तनकी का भार वादिया पर रहा है और उसने इसकी साबिति के लिए प्रदश 1 जो कि विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 की उप पंजियक अजमेर द्वारा जारी प्रमाणित प्रति है जिसमें विक्रेता लादूसिंह ने ख.नं. 258 की आराजी को बिल एवज प्रतिफल वादिया से बेचकर कब्जा भूमि संभलाना तकसीम किया है । प्रदर्श 2 चतरसिंह वल्द रूघनाथ सिंह राजपूत निवासी बाडी द्वारा ख.नं. 459 की आराजी को वादिया को दिनांक 27.11.1978 को बिल एवज़ प्रतिफल बेचान कर कब्जा संभला देना तकसीम किया है । प्रदर्श 6 खसरा परिवर्तन शील सम्वत 2029 है जिसके खाना कैफियत में स्पष्ट रूप से लादूसिंह व चतरसिंह को खातेदार दर्ज किया गया है । वादी वकील के तर्क रहे कि उसने विवादित भूमि उनमें रहे खातेदारान से खरीद की है खरीद रोज से काबिज हूँ मेरे नाम दाखिल खारिज भी दर्ज हुए वे पूर्व के बन्दोबस्त की जमाबंदी में दर्ज थे वर्किंग जमाबंदी में राजस्व कारकूनों ने दर्ज नहीं किये । विक्रय पत्र दिनांक 09.07.1979 व 27.11.1978 की प्रमाणित प्रतियां जो सेकेन्ड्री ऐवीडेन्स में ग्राह्य योग्य होने से अभिलेख पर है जो साबित करते है कि विवादित आराजी को वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड खरीद किया है तनकी वादिया के हक में तय पाई जाती है ।

तनकी– 2 क्या म्यूटेशन संख्या 76 दिनांक 28.06.1980 एव म्यूटेशन संख्या 68 दिनांक 12.03.79 विधिक सम्मत होने से इसका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करना उचित होगा ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

इसका तनकी का भार भी वादिया पर रहा है । उसने इसको सिद्ध करने के लिए ना. क.सं. 76 दिनांक 28.06.1980 व ना.क.सं. 68 दिनांक 12.03.1979 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है । वकील वादिया के तर्क है कि इन ना. करण का वादिया के पक्ष में गत जमाबंदीयों में अमल कर दिया गया लेकिन वर्किंग जमाबंदी में इसे गैर कानूनी रूप से बिना वादिया को सुनवाई का अवसर दिये वादिया की खातेदारी की भूमि को सरकारी खाते लगा दिया गया है, जब कि वादिया के पक्ष में स्वीकृत ना. करण सं. 76 व 68 आज भी अभिलेख पर मौजूद है

(17)

जिनके विरूद्ध किसी ने भी, किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है । वादिया इन ना.क. की रूह से विवादित आराजी में साधिकार खातेदार है । गवाहान ने भी इस तथ्य की पुष्टी की है, जब कि प्रतिवादी 1 से 3 के पैरोकार ने वितर्क में कोई कथन नहीं किये है । वकील वादिया के तर्क सार्थक है कि वादिया के पक्ष के ना.क. को किसी भी न्यायालय में किसी के भी द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है जो सही भी है इसलिए इन नामान्तकरण का अमल राजस्व जमाबंदी में किया जाना विधि सम्मत पाया जाता है। तनकी बहक विवादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है ।

अनुतोष क्या हो ?

प्रकरण में कायम तनकियात के तय किये जाने पर वादिया अपने वाद पत्र पर अपेक्षित अनुतोष की प्राप्ति की अधिकारिणी पाई जाती है ।

अतः वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादिया को ग्राम बाड़ी स्थित आराजी ख.नं. 258 रकबा 05–15–00 बीघा एवं 259 रकबा 04–10–00 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा यथानुसार राजस्व अभिलेख में ग्राम बाडी के ना.क. संख्या 76 दिनांक 28/06/1980 व ना.क. 68 दिनांक 12.03.1979 के अमल के साथ–साथ वादिया का निधन हो जाने के कारण वर्तमान में उसके वारिसान वादी सं. 1/1 से 1/4 के नाम बहैसियत खातेदार राजस्व अभिलेख में लगाने के आदेश पारित किये जाते है । प्रतिवादीगण को वादिया की आराजी में उसके वारसान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2016 को कार्यालय हाजा में सर इलजास सुनाया जा रहा है ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.01 15:43:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: